

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2009/डी- 4202-A

दिनांक 5/10/09

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 143वीं बैठक दिनांक 01.10.2009 में लिये गये निर्णय का विवरण

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1 143.1	कार्यकारी समिति की 142 वीं बैठक दिनांक 07.09.09 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 142वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया।		
2 143.2	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1701, 1702/1, 1699, 1988, 1987, 1698मि., 1989मि. कुल कित्ता 7 रकबा 2.02 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (विनायक राज शिक्षण संस्थान, जरिये श्री राजेन्द्र सिंह भाम्बू)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1701, 1702/1, 1699, 1988, 1987, 1698मि. 1989मि. कुल कित्ता 7 रकबा 2.02 हैक्टर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 618 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 19582 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
3 143.3	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम गणेशपुरा तहसील फागी के खसरा नं. 133, 136/1, 136/2, 136/3, 139, 140, 148, 150, 161 कुल कित्ता 9 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (पुष्पा देवी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम गणेशपुरा तहसील फागी के खसरा नं. 133, 136/1, 136/2, 136/3, 139, 140, 148, 150, 161 कुल कित्ता 9 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
4 143.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम सिस्वावास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1, 2, 4 से 14, 25 से 29 कुल कित्ता 18 रकबा 8 हैक्टर अर्थात् 80,000 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (श्री रामप्रसाद, रामनाथ, हनुमान सहाय, आशीष)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम सिस्वावास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1, 2, 4 से 14, 25 से 29 कुल कित्ता 18 रकबा 8 हैक्टर अर्थात् 80,000 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा से प्रभावित 4598.76 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 73440 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-9	
5 143.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम चौमूं तहसील चौमूं के खसरा नं. 3782, 3783 कुल कित्ता 2 रकबा 0.91 हैक्टर भूमि में से एच.टी.लाईन की सुरक्षित दूरी के क्षेत्र में आने वाली 225 वर्गमीटर तथा सड़क के अन्तर्गत आने वाली 900 वर्गमीटर भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 7975 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री हरिनारायण अहीर, गणपत लाल बढीनारायण व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम चौमूं तहसील चौमूं के खसरा नं. 3782, 3783 कुल कित्ता 2 रकबा 0.91 हैक्टर भूमि में से एच.टी.लाईन की सुरक्षित दूरी के क्षेत्र में आने वाली 225 वर्गमीटर तथा सड़क के अन्तर्गत आने वाली 900 वर्गमीटर भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 7975 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-13	


315

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
6 143.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा के स्वामित्व की ग्रामीण आकेडा डूंगर के खसरा नं. 1286 एवं ग्राम बढारना के खसरा नं. 1220 क्षेत्रफल 3.35 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल से आवासीय किये जाने के संबंध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा के स्वामित्व की ग्रामीण आकेडा डूंगर के खसरा नं. 1286 एवं ग्राम बढारना के खसरा नं. 1220 क्षेत्रफल 3.35 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ईकोलोजिकल से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-2	
7 143.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चिरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 222, 208 से 212, 214 से 217, 217/516, 217/517, 218, 219, 220, 222/518, 229 कुल किता 17 कुल रकबा 1.12 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आद्यौगिक किये जाने के संबंध में। (राजस्थान ट्रांसमेट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम चिरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 222, 208 से 212, 214 से 217, 217/516, 217/517, 218, 219, 220, 222/518, 229 कुल किता 17 कुल रकबा 1.12 हैक्टर भूमि में से सडक सीमा से प्रभावित 359.70 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 10840.30 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आद्यौगिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
8 143.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चांदावास तहसील फागी के खसरा नं. 432/2, 431, 538/432 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (रामकृष्ण परमहंस शिक्षा समिति)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम चांदावास तहसील फागी के खसरा नं. 432/2, 431, 538/432 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि 8465.33 व.मी. का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
9 143.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 449, 459, 460, 269, 270, 271, 272, 282 से 285, 293, 295, 298, 299, 447, 462, 464, 288, 583/291, 584/292, 585/287 कुल किता 22 कुल रकबा 9.38 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (मै. संगम कालोनाईजर्स)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 449, 459, 460, 269, 270, 271, 272, 282 से 285, 293, 295, 298, 299, 447, 462, 464, 288, 583/291, 584/292, 585/287 कुल किता 22 कुल रकबा 9.38 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
10 143.10	भूखण्ड सं. ए-39, लक्ष्मीनारायण विहार योजना के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. ए-39, लक्ष्मीनारायण विहार योजना को नियमितिकरण हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
11	143.11	कुमारी शैलजा शर्मा, कनिष्ठ सहायक द्वारा दौतों का इलाज प्राधिकरण से गैर अनुमोदित अस्पताल में कराने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कुमारी शैलजा शर्मा, कनिष्ठ सहायक द्वारा दौतों का इलाज प्राधिकरण से गैर अनुमोदित अस्पताल में कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
12	143.12	रेल्वे ओवर ब्रिज जगतपुरा एवं 200 फीट महल रोड से प्रभावित लाजपत नगर आवासीय योजना के भूखण्ड/दुकान/कब्जाशुदा भूमि के मुआवजे के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् तय किया गया गया कि सोसायटी के मूल मानचित्र व मौके की स्थिति से जांच कर वस्तुस्थिति से अवगत होकर उपायुक्त द्वारा पुनः प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।	उपायुक्त जोन-9	
13	143.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नं. 4391, 4393 से 4400 किता 8 रकबा 2.50 है. ग्राम सूरजपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 334, 335, 343, 344, 345, 346, 396, 397, 398, 331/1, 342, 359, 340/2, 389, 680, 491/2, 682, 490, 684, 584, 678/1, 681, 574, 683, 426, 685, 429, 679/1, 432, 388, 481, 390, 508, 511, 528 किता 35 रकबा 10.11 हैक्टर ग्राम खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 701 से 705, 719 किता 6 रकबा 3.60 हैक्टर कुल किता 50 रकबा 16.21 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (मैसर्स स्काईएज रियल स्टेट प्रा.लि. व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नं. 4391, 4393 से 4400 किता 8 रकबा 2.50 है. ग्राम सूरजपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 334, 335, 343, 344, 345, 346, 396, 397, 398, 331/1, 342, 359, 340/2, 389, 680, 491/2, 682, 490, 684, 584, 678/1, 681, 574, 683, 426, 685, 429, 679/1, 432, 388, 481, 390, 508, 511, 528 किता 35 रकबा 10.11 हैक्टर ग्राम खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 701 से 705, 719 किता 6 रकबा 3.60 हैक्टर कुल किता 50 रकबा 16.21 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)					
14	143.14	प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में जारी आदेश दिनांक 23.09.09 की कार्योत्तर पुष्टि बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में जारी आदेश दिनांक 23.09.09 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
15	143.15	मैसर्स स्टार काउन प्रॉपकोन प्रा.लि. के जयपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत पुर्नगठित भूखण्ड एम.पी.-1 के पास व भूखण्ड एन-1 नियर ग्रेटर कैलाश कालोनी, लालकोठी योजना क्षेत्रफल 1411.87 वर्गमीटर में से 829.63 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड (जिसका पहले से ही वर्तमान मास्टर विकास योजना 2011 में भू-उपयोग व्यावसायिक होने के कारण) की भूमि को छोड़ते हुये शेष भूखण्ड एन-1 क्षेत्रफल 582.24 वर्गमीटर जो जविप्रा द्वारा सिर्फ आवासीय उपयोग हेतु नीलामी से विक्रय किया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने हेतु जविप्रा अधिनियम की धारा 25(1) के तहत अधिसूचना जारी किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से मैसर्स स्टार काउन प्रॉपकोन प्रा. लि. के जयपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत पुर्नगठित भूखण्ड एम.पी.-1 के पास व भूखण्ड एन-1 नियर ग्रेटर कैलाश कालोनी, लालकोठी योजना क्षेत्रफल 1411.87 वर्गमीटर में से 829.63 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड (जिसका पहले से ही वर्तमान मास्टर विकास योजना 2011 में भू-उपयोग व्यावसायिक होने के कारण) की भूमि को छोड़ते हुये शेष भूखण्ड एन-1 क्षेत्रफल 582.24 वर्गमीटर जो जविप्रा द्वारा सिर्फ आवासीय उपयोग हेतु नीलामी से विक्रय किया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने तथा ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध अपील नही किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-3	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
16	143.16	प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में आवेदकों की जमा पंजीकरण राशि के रिफण्ड के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि लाटरी तिथि से पूर्व, लाटरी निकलने के बाद मांग पत्र जारी होने से पूर्व तक रिफण्ड चाहने पर पंजीकरण राशि का 5 प्रतिशत काटा जावे, मांग पत्र जारी होने के बाद रिफण्ड चाहने पर पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत तथा 3 महीने की समान अवधि में जो योजनाएँ लान्च की जाती हैं, उनमें दोहरें आवंटन होने पर प्रार्थी को देय एक रिफण्ड में से कोई कटौती नहीं की जावे, गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर सम्पूर्ण पंजीकरण राशि जब्त किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
17	143.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मथुरावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 361, 362/2 कुल किता 2 रकबा 2.53 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (केवल होटल प्रयोजनार्थ अन्य उपयोग हेतु नहीं) किये जाने के संबंध में। (अमोल प्रोपर्टीज)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम मथुरावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 361, 362/2 कुल किता 2 रकबा 2.53 हैक्टर भूमि में से सडक सीमा से प्रभावित 3267.50 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर एवं प्लान्टेशन कोरीडोर से प्रभावित 4342.50 व.मी. भूमि छोड़ते हुये शेष 15620.87 व. मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (केवल होटल प्रयोजनार्थ अन्य उपयोग हेतु नहीं) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
18	143.18	Proposed schedule of powers in J.D.A	विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि एसओपी के बिन्दु सं. 60 में टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत तकनीकी बिड के अनुमोदन हेतु उच्च समिति में सदस्य निदेशक (अभि.)/निदेशक (परियोजना), निदेशक (वित्त) एवं अति. मुख्य अभियन्ता (अन्य जोन के) होंगे। एजेण्डा के शेष सभी बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किये गये।	CE-1 & TA to Dir. (Engg.)	
19	148.19	Agenda Regarding Approval of counter offer and tender for the work of "Engineering, Procuring, Constructing, Commissioning (EPC) and performance run for 3 months followed by 5 years O&M of Sewerage Treatment Plant of 30 MLD capacity at village Ralawata for South-East area of Jaipur City based on Conventional Activated Sludge Process on turnkey basis under JNNURM."	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में निदेशक (अभि.) महोदय के स्तर पर पूर्ण समीक्षा कर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	Zonal Engg. PHE-I	


ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
20	148.20	Agenda Regarding Approval of counter offer and tender for the work of "Engineering, Procuring, Constructing, Commissioning (EPC) and performance run for 3 months followed by 5 years O&M of Sewerage Treatment Plant of 30 MLD capacity at village Gajadharpura for North-East area of Jaipur City based on Conventional Activated Sludge Process on turnkey basis under JNNURM."	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण को पुनः आगामी बैठक में निदेशक (अभि.) महोदय के स्तर पर पूर्ण समीक्षा कर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	Zonal Engg. PHE-II	
21	148.21	अति. निदेशक (व्यय एवं बजट) (लेखा सेवा का चयनित वेतनमान पद) को उप निदेशक (प्रोजेक्ट एण्ड ऑडिट) (लेखा सेवा का वरिष्ठ वेतन श्रृंखला पद) के पद में डाउन ग्रेड किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अति. निदेशक (व्यय एवं बजट) (लेखा सेवा का चयनित वेतनमान पद) के पद को उप निदेशक (प्रोजेक्ट एण्ड ऑडिट) (लेखा सेवा का वरिष्ठ वेतन श्रृंखला पद) के पद को नहीं लिये जाने एवं अति. निदेशक के पद को यथावत रखते हुये उस पद के विरुद्ध उपनिदेशक (प्रोजेक्ट एण्ड ऑडिट) का पदस्थापन करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
22	148.22	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2008-09 के लिये बोनस/एक्सग्रेसिया के संबंध में जारी आज्ञा दिनांक 29.09.09 कार्योत्तर स्वीकृति एवं दीपावली 2008 व 2009 में उपहार स्वीकृति करने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2008-09 के लिये बोनस/एक्सग्रेसिया के संबंध में जारी आज्ञा दिनांक 29.09.09 कार्योत्तर स्वीकृति एवं वर्ष 2009 के लिये 1100/- रु. दीपावली उपहार स्वीकृत करने का निर्णय लिया एवं वर्ष 2008 के लिये दीपावली उपहार आदेश को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	


 सदस्य सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

53/19

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 143वीं बैठक दिनांक 01.10.09 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री सुधांशु पंत, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री सुधांशु पंत	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती गायत्री ए राठौड़	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री एस.ए. फारूकी	शासन उप सचिव	सचिवालय	सदस्य के प्रतिनिधि
4	श्री एच.एस. सचेती	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री भास्कर शर्मा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री एम.पी. स्वामी	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री ओ.पी. दोराया	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
8	श्री एस.के. पंचोली	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
9	श्री राम देव सिंह	अति. जिला कलेक्टर (तृतीय)	क्लेक्ट्रेट	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री अजित कुमार गुप्ता	E.E. & TA	पी.डब्ल्यू.डी	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री पी.पी. गौड़	अति. पुलिस अधीक्षक	एस.पी. हेड क्वार्टर	सदस्य के प्रतिनिधि
12	श्री आर.सी. शर्मा	आयुक्त	नगर निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
13	श्री एस.के. गुप्ता	अधीषण अभियन्ता	जेवीवीएनएल	सदस्य के प्रतिनिधि
14	श्री एन.एम. जोशी	EDT RSRTC	आरएसआरटीसी	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
15	श्रीमती सुचि शर्मा	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्रीमती दुर्गा जोशी	अति. आयुक्त (एलपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री जाकिर हुसैन	अति. निदेशक (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री मोहन टावरी	एस.टी.पी. (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री अनिल कुमार शर्मा	जोनल अभियन्ता (पीएचई-द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री सुनील सिधल	जोनल अभियन्ता (पीएचई-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री उमेश धिंगरा	सर्किल अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्री हनुमान मल ढाका	उपायुक्त जोन-3	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24	श्री बी.एल. गोयल	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26	श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
27	श्री संजय जैन	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


 सचिव,
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2009/अ-
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक:

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	ज़िला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	ज़िला कलेक्टर	ज़िला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी/भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अघोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।


सचिव,
जविप्रा, जयपुर

321